

21/3/21/19

आदेश पत्रक

केस का प्रकार - विविध वाद

वाद संख्यां- 16
वर्ष:- 2020-21

आदेश का क्रम
संख्यां एवं तारिख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारिख सहित।

आवेदक श्री नन्दलाल साव पिता गन्दौरी साव, साकिन राजोखार, थाना गावां, जिला गिरिडीह के आवेदन पत्र को जांच कर राजस्व उप-निरीक्षक/ प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है उक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

-: विवादित भूमि का विवरण:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा
राजोखार	339	05	05	0.50 एकड

हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक तथा अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :-

आवेदक नन्दलाल साव पिता गन्दौरी साव, ग्राम राजोखार, पंचायत अमतरो, द्वारा अपने खतियानी रैयती भूमि थाना नं 339, खाता नं 05, प्लॉट नं 05, रकवा 0.50 एकड में एक सुखा पेड जलावन कार्य हेतु काटने की अनुमति हेतु अंचल में आवेदन दिया गया है। उक्त भूमि सर्वे खतियान आवेदक द्वारा प्रस्तुत बंशावली के आधार पर आवेदक के परदादा सुकर तेली पिता चमर तेली के नाम से दर्ज है। लगान रसीद सुकर तेली वो गन्दौरी साव के नाम से पंजी 11 के भोलूम 03 पेज नं 56 पर दर्ज है। एवं लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। सुखा पेड को काटने की अनुमति दी जा सकती है।

उभय पक्षों को नोटिस करते हुए मूल दस्तावेज की मांग करें।
अभिलेख दिनांक 6.1.2021 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
गावां।

अभिलेख उपस्थापित/आवेदक को नाम आवेदन
आवेदक पेड (सुखा) काटने हेतु अनुमति निर्गत
करे।

06.1.21

21/3/21/19